GOVERNMENT OF INDIA(भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
****

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 15 .10.2014**

General Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 45 OF 2014)

Sub: Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

Ref: Commercial Circulars No. 33, 35, 37, 39 & 40 of 2014

CRIS, vide letter No. 2009/CRIS/NDLS-HQ/UTS/IMPLEMENT/ Onlineissue /0085/pt-1 dt 11.9.2014 has sought certain clarifications regarding the YTSK Scheme circulated vide CC No. 33/2014. The issues raised in the letter along with clarifications are as under:-

S.No.	Item	Remarks
1	What will be the procedure to deposit system access charge, registration fee, advance deposit, security deposit, license fee (ref paras 3.5, 5.1, 5.2, 5.3 and 7 respectively)	(i). YTSK licensee will make payment for one time registration fee, system access charges and security deposit/bank guarantee in the name of FA&CAO of the Zonal Railway concerned. In case of advanced deposit as indicated in 5.2, the procedure indicated in the standard agreement will be followed. (ii). The registration fee/advance deposit may be in cash or in for of a bank draft. The security deposit may be in cash/demand draft or in for of bank guarantee by a scheduled bank. (iii) On expiry of the agreement, the Security Deposit shall be refunded to the licensee after realising therefrom all the amounts due by the licensee to the Government either as sale proceeds of tickets, penalties or otherwise whatsoever and accounts adjusted in terms of Para13.2(iii) of Standard Agreement circulated vide Board's letter of even number dated 18.9.2014 (CC No. 39/2014). The refund of security deposit should be processed by Refund Office through Accounts Office after due internal checks.
2	Whether these charges will be deposited at UTS counters through money receipts option or Demand Draft for which option to be provided in the system. If money is deposited at UTS counters when whether to will be included in station earnings and at the time of termination of the contract, refund will be granted through station earnings.	

3	How much deposit and minimum balance will be distributed between UTS and PRS	(i) Out of the advance deposit taken as per para 5.2 of the scheme circulated vide CC 33/2014, 90% of the amount will be allocated for booking tickets through PRS and 10% will be used for booking tickets through UTS. (ii) It may however be ensured by the licensee that facility of booking both type of tickets should be available at the counter and the same should not be held up on account of non-availability of advance deposit in either of the accounts. (iii) As far as minimum balance is concerned, the tickets through PRS will not be issued once the minimum balance touches Rs. 40,000/- and ticket through UTS will not be issued once the minimum balance reaches Rs 10,000/-
4	In para 5.3, it is stated that the licensee would be required to keep an interest free security deposit of Rs 2 lakh per port subject to a maximum of Rs 5 lakh with railways. But he is allowed to take only two numbers of data channels between his location and the nearest PRS centre. So, whether port is related to data channel or terminal?	Port is related to the terminals.
5	What will be the maximum time period for defining of YTSK in the system after depositing of all the charges to the Railways.	30 days.
6	Presently JTBS is only permitted issuance of non-concessional & sr. citizen tickets, renewal of non-concessional season tickets & platform tickets. Other operations like non-issue, cancellation, issuance of other type of tickets are restricted to JTBS. Whether YTSK will be permitted to issue all types of non-concession tickets including non-issue, cancel/ special cancel of tickets, BPT etc?	(i) Only fully paid tickets, senior citizen tickets and platform tickets will be issued from YTSKL terminals and such terminals will not issue tickets on any type of concession vouchers, HOR forms, Identity Cards issued to MPs, rail travel coupons issued to MLAs, freedom fighter card, free passes, indrail pass, etc. (ii) In case of unreserved tickets, the rules applicable to JTBS will also be applicable to YTSK. As such the facility of cancellation of unreserved ticket will not be available to YTSK licensee.

		(iii) Cancellation and refund (if any) of unreserved tickets may be done by the serving station as per refund rules in force, after verifying their genuineness. (iv) The facility of making the ticket as 'non-issued' shall also not be made available to YTSKL.
7	A supervisory password (controlled by Railways) and an operator password (controlled by licensee) have been mentioned in the Circular. This is practically not possible since YTSK will be located outside the railway premises and station supervisor cannot endorse for supervisory intervention. Why is the supervisory password required?	7: The supervisory password is required in order to keep a check on the YTSK and to de-activate the terminal(s) if necessary.
8	There will be no separate balance sheet for YTSK as all the transactions will be reflected at depot station which will keep all accounts of YTSK. However, a separate report will be prepared to show the amount deposited and sale of tickets counter wise.	8: Agreed.

2. This issues with the concurrence of Finance & Accounts Directorates of Ministry of Railways.

(Dr. S.K. Ahirwar)
DTC(G)/Railway Board

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 15 .10.2014**

Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

(M.K. Dubey)
For, Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल　　　　　　　　　　नई दिल्ली, दिनांक 15.10.2014

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 45)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) स्थापित करने और परिचालित करने की योजना आरंभ करना।

संदर्भ : 2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33, 35, 37, 39 और 40.

क्रिस ने दिनांक 11.9.2014 के अपने पत्र सं. 2009/क्रिस/एनडीएलएस-एचक्यू/यूटीएस/इम्प्लीमेंट/ऑनलाइनइश्यू/0085/पार्ट-1 के तहत वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के तहत परिपत्रित वाईटीएसके योजना के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस स्पष्टीकरण के साथ-साथ इस पत्र में उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	मद	टिप्पणी
1	सिस्टम उपयोग करने का प्रभार, पंजीकरण शुल्क, अग्रिम जमा, प्रतिभूति जमा, लाइसेंस शुल्क जमा करने की प्रक्रिया क्या होगी? (क्रमशः पैरा 3.5, 5.1, 5.2, 5.3 और 7 देखें)	(i) वाईटीएसके लाइसेंसधारी एक बारगी पंजीकरण शुल्क, सिस्टम उपयोग करने का प्रभार और प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी का भुगतान संबंधित क्षेत्रीय रेल के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के नाम करेंगे। 5.2 में यथा उल्लिखित अग्रिम जमा के मामले में मानक करार में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। (ii) पंजीकरण शुल्क/अग्रिम जमा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो सकता है। प्रतिभूति जमा नगद/डिमांड ड्राफ्ट या किसी अनुसूचित बैंक के बैंक गारंटी के रूप में हो सकता है। (iii) करार समाप्त होने पर सरकार द्वारा लाइसेंसधारी से सभी बकाया राशि जैसे टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय, जुर्माना या कोई अन्य किसी प्रकार की वसूली करने और बोर्ड कार्यालय के दिनांक 18.9.2014 के समसंख्यक पत्र (वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39/2014) के तहत परिपत्रित मानक करार के पैरा 13.2(iii) के अनुसार समायोजित की गई राशि वसूल करने के बाद लाइसेंसधारी को प्रतिभूति जमा का रिफन्ड किया जाएगा। प्रतिभूति जमा की रिफन्ड की प्रक्रिया उपयुक्त आंतरिक जांच के बाद लेखा कार्यालय के माध्यम से रिफंड कार्यालय
2.	क्या इन प्रभारों को धन प्राप्ति विकल्प या डिमांड ड्राफ्ट जिसके लिए सिस्टम में विकल्प दिए जाने हैं, के माध्यम से यूटीएस काउन्टरों पर जमा किया जाएगा। यदि धन यूटीएस काउन्टरों पर धन जमा किया जाएगा तो क्या उसे स्टेशन की आमदनी में शामिल किया जाएगा और ठेका समाप्त होने के समय स्टेशन आमदनी से रिफन्ड दिया जाएगा?	

		द्वारा आरंभ की जाएगी।
3.	यूटीएस और पीआरएस के बीच कितनी जमा एवं न्यूनतम शेष राशि का वितरण किया जाएगा।	(i) वाणिज्य परिपत्र 33/2014 के तहत परिपत्रित योजना के पैरा 5.2 के अनुसार, लिए गए अग्रिम जमा में से 90% राशि पीआरएस के माध्यम से टिकटें बुक करने के लिए आबंटित की जाएगी और 10% राशि यूटीएस के माध्यम से टिकटें बुक करने के लिए उपयोग में लायी जाएगी। (ii) बहरहाल, लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए है कि दोनों प्रकार के टिकटों को बुक करने की सुविधा काउंटर पर उपलब्ध होनी चाहिए और वह दोनों में से किसी एक में भी अग्रिम जमा उपलब्ध नहीं होने के कारण बुकिंग बाधित नहीं होनी चाहिए। (iii) जहां तक न्यूनतम शेष राशि का संबंध है, जब न्यूनतम शेष राशि 40,000/- रुपए तक पहुँच जाए तो पीआरएस के माध्यम से टिकटें जारी नहीं की जाएंगी और जब न्यूनतम शेष राशि 10,000/- रुपए तक पहुँच जाए तो यूटीएस के माध्यम से टिकटें जारी नहीं की जाएंगी।
4.	पैरा 5.3 में यह उल्लिखित है कि लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट 2 लाख रुपए की ब्याजरहित प्रतिभूति जमा रखनी होगी परन्तु यह राशि वह 5 लाख रुपए से अधिक न हो। परन्तु उसे अपने कार्यस्थल और निकटतम पीआरएस केन्द्र के बीच डाटा चैनलों के केवल दो नम्बर रखने की अनुमति है। अत: पोर्ट, डाटा चैनल अथवा टर्मिनल में से किससे संबंधित है?	पोर्ट टर्मिनल से संबंधित है।
5.	रेलों को सभी प्रभार जमा करने के बाद सिस्टम में वाईटीएसके निर्धारित करने की अधिकतम समयावधि क्या होगी?	30 दिन।
6.	वर्तमान में जेटीबीएस को केवल गैर-रियायती और वरिष्ठ नागरिकों की टिकटें जारी करने, गैर-रियायती सीजन टिकटों का नवीकरण करने और प्लेटफॉर्म टिकटों को जारी करने की अनुमति है। अन्य कार्य जैसे नॉन इश्यू, रद्द करने, अन्य प्रकार के टिकट जारी करने का कार्य जेटीबीएस के लिए प्रतिबंधित है। क्या वाईटीएसके को नॉन-इश्यू (टिकटों को रद्द करने, विशेष रूप से रद्द करने बीपीटी आदि सहित सभी प्रकार के गैर-रियायती टिकटों को जारी करने की अनुमति है।)	(i) केवल पूर्ण भुगतान वाली टिकटें, वरिष्ठ नागरिकों की टिकटें, और प्लेटफॉर्म टिकटें वाईटीएसकेएल टर्मिनलों से जारी किए जाएंगे और इस प्रकार के टर्मिनलों से किसी भी प्रकार की रियायती वाउचर, एचओआर फॉर्म, संसद सदस्यों को जारी किए जाने वाले पहचान पत्र, विधायकों को जारी किए जाने वाले रेल यात्रा कूपन, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड,

		नि:शुल्क पास, इंडरेल पासों आदि पर टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। (ii) अनारक्षित टिकटों के मामले में, जेटीबीएस के लिए लागू नियम वाईटीएसके के लिए भी लागू होंगे।अत: अनारक्षित टिकटों को रद्द करने की सुविधा वाईटीएसके लाइसेंसधारियों के पास नहीं होगी। (iii) अनारक्षित टिकटों का रद्दकरण और रिफन्ड (यदि कोई हो) उनकी यर्थार्थता का सत्यापन करने के बाद लागू नियमों के अनुसार सर्विंग स्टेशन द्वारा किया जाएगा। (iv) टिकट की "नॉन इश्यूड" की सुविधा भी वाईटीएसकेएल के पास उपलब्ध नहीं होगी।
7.	परिपत्र में एक पर्यवेक्षी पासवर्ड (रेलों के नियंत्रणाधीन) और एक ऑपरेटर पासवर्ड (लाइसेंसधारी के नियंत्रणाधीन) का उल्लेख किया गया है। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि वाईटीएसके रेल परिसरों से बाहर स्थित होंगे और स्टेशन पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण कार्य की पुष्टि नहीं कर सकता है। पर्यवेक्षी पासवर्ड की क्या आवश्यकता है?	7. पर्यवेक्षी पासवर्ड की आवश्यकता वाईटीएसके पर नियंत्रण रखने और यदि आवश्यक हो तो टर्मिनल (लों) को डिऐक्टिवेट करने के लिए होगी।
8.	वाईटीएसके के लिए अलग बैलेंस शीट नहीं होगी क्योंकि सभी लेन-देन डिपो स्टेशन जिसमें वाईटीएसके के सभी प्रकार के लेखाजोखा मौजूद रहेंगे, पर प्रतिबिम्बित होगी। बहरहाल, प्रत्येक काउन्टर पर जमा की गई राशि एवं टिकटों की बिक्री दर्शाने के लिए अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएगी।	8. इस बात से सहमत हैं।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं लेखा निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)/रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल **नई दिल्ली, दिनांक 15.10.2014**

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी भारतीय रेलें

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल नई दिल्ली, दिनांक 15.10.2014

प्रतिलिपि प्रेषित :

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, एफ(सी) तथा सतर्कता (एस एस), का. नि. रे. स्टो. (सा.) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा ः प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक रोड, लखनऊ-226001।
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

******